BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 332 OF 2024

IN THE MATTER OF:

ATS ONE HAMLET APARTMENTS OWNERSASSOCIATION ….. APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. … RESPONDENTS

INDEX

	PARTICULARS	PAGES
1.	Additional Affidavit On Behalf Of The Respondent No.02 Uttar Pradesh Pollution Control Board	1-4
2.	**ANNEXURE-1.** True copy of the letter dated 10.06.2026& 16-07-2026	5-6
3.	**ANNEXURE-2** A true copy of reply dated 17.07.2026	7-22
4.	**Vakalatnama**	23

New Delhi
DATED: 23.07.2026

(PRADEEP MISRA & DALEEP DHYANI)
Counsel for U.P. Pollution Control Board
138, New Lawyers Chamber,
supreme Court of India,
New Delhi-110001
(M.) 9810252518
Email: pradeepmisra@yahoo.com

NOTARIAL NOTARIAL

NOTARY N.C. Sharma G.B. Nagar Reg. No. 1218 GOVT. OF INDIA

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 332 OF 2024

IN THE MATTER OF:

ATS ONE HAMLET APARTMENTS OWNERS ASSOCIATION ….. APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. … RESPONDENTS

ADDITIONAL AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO. 02 UTTAR PRADESHPOLLUTION CONTROL BOARD

I, Reetesh Kumar Tewari, aged about 52 years, S/o Shri J.N. Tewari, presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter UPPCB),Noida, Gautam Buddha Nagar do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I, in the above noted capacity, am well conversant with the facts and records of the present case, hence am competent and authorized to swear this affidavit.

2. That this Hon'ble Tribunal has vide its order dated 10.04.2026 directed as under:

"1. Learned Counsel appearing for the Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) has referred to the

NOTARY N.C. Sharma G.B. Nagar Reg. No. 1218 GOVT. OF INDIA

communication dated 24.01.2026 sent by Regional Officer, UPPCB, NOIDA to the DFO, Gautam Budh Nagar, Forest Division, requesting him to disclose the number of trees which have been cut, cost factor, trunk area of trees, species factor, condition factor, location factor, royalty value etc; for calculating the environmental compensation."

3. That in view of the directions of this Hon'ble Tribunal in Original Application No. 335 of 2023 the methodology for assessment of Environmental Compensation for illegal cutting of trees as formulated by Uttarakhand Pollution Control Board, the Environment Compensation can be calculated basis the following considerations / method:

Environment Compensation = [Cost Factor x Trunk area of Tree x Species Factor x Condition Factor x Location Factor]- Royalty Value

4. That however, details about above factor for trees have not been mentioned, hence the Regional Office, U.P. Pollution Control Board has written a letter dated 10.06.2026 & 16-07-2026 to Divisional Forest Officer, Gautam Budh Nagar, Forest Division, NOIDA. True copy of the said letter is being enclosed herewith and marked as **Annexure-1.**

5. That in response to the said letter, a reply dated **17.07.2026** was received in which number of trees have been given and the Cost Factor, Species Factor, Condition Factor, Location Factor, and Royalty Value have been given. Besides this, in the absence of trunk area of tree it is difficult to compute the compensation as per formula approved by this Hon'ble Tribunal in the case of Uttarakhand. A true copy of reply

NOTARY
N.C. Sharma
G.B. Nagar
Reg. No. 1218
GOVT. OF INDIA

dated 17.07.2026 is being enclosed herewith and marked as **Annexure-2**.

6. That this Hon'ble Tribunal has vide its order dated 21.03.2025, in Original Application No. 335 of 2023, Pramod Tyagi Verses State of NCT of Delhi, has passed the following directions:

"......91. *In the meantime, we are of the view that till final computation is made, Transport Department of GNCTD must pay environmental compensation which we propose to impose as an interim measure subject to adjustment as per the final computation/determination by DPCC. As we have already discussed, 468 trees (after adjusting 27 trees which have been transplanted and survived) have been cut which have caused damage to environment in an illegal manner and, therefore, we compute interim compensation at the rate of Rs.10,000/- per tree in the absence of details of the age of the trees, nature of the trees and other relevant considerations and direct respondent 1 to pay the same as interim environmental compensation. The amount of interim environmental compensation due to illegal cutting of 468 trees comes to Rs.46,80,000/- (468 trees × Rs.10,000/-) ....*"

7. In continuation of the said order, 20 trees have been cut which have caused damaged to Environment in an illegal manner and, there for we compute interim compensation at the rate of Rs. 10,000/- per tree in the absence of detail of the age of tree and trunk area of the tree and direct to

NOTARY
N.C. Sharma
G.B. Nagar
Reg. No. 1218
GOVT. OF INDIA

respondent no. 6 to pay the same as interim environmental compensation. The amount of interim environmental compensation due to illegal cutting of 20 trees comes to Rs.2,00,000/- (20 trees × Rs.10,000/-)

The Total Environment Compensations has an interim measure comes to **Rs. 2,00,000/- (Two Lakh Rupee)** which is payable by respondent no 6.

The above facts are being placed for kind consideration of this Hon'ble Tribunal.

DEPONENT

क्षेत्रीय अधिकारी
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
ई-12/1-सेक्टर-1,
नोएडा

VERIFICATION:

I, the abovenamed deponent, do hereby verify that the contents of above affidavit are true to my knowledge derived from official record. No part of the same is false and nothing has been concealed therefrom.

VERIFIED ON THIS THE 22 DAY OF JULY, 2026 AT NOIDA.

NOTARY
N.C. Sharma
G.B. Nagar
Reg. No. 1218
GOVT. OF INDIA

ATTESTED
22-7-2026
Naveen Chandra Sharma
Advocate Notary
Dadri Noida (G.B Nagar)

DEPONENT

क्षेत्रीय अधिकारी
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
ई-12/1-सेक्टर-1,
नोएडा

क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

पत्रांकः 654/L-192/26 दिनांकः 16/07/26

अनुस्मारक–1

सेवा में,
प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग, गौतमबुद्ध नगर।

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 332/2024 ATS One Hamlet Apartment Owners Association Vs. State of Uttar Pradesh & Ors में पारित आदेश दिनांक 10.04.2026 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय इस कार्यालय के पूर्व प्रेषित पत्र सं0 371/एल–192/2026 दिनांक 10.06.2026 के माध्यम से अनुपालन आख्या चाही गयी थी, जो वर्तमान में प्राप्त नही है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 332/2024 ATS One Hamlet Apartment Owners Association Vs. State of Uttar Pradesh & Ors में पारित आदेश दिनांक 10.04.2026 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके मुख्य अंश निम्नवत् हैः–

"...1. Learned Counsel appearing for the Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) has referred to the communication dated 24.01.2026 sent by Regional Officer, UPPCB, NOIDA to the DFO, Gautam Budh Nagar, Forest Division, requesting him to disclose the number of trees which have been cut, cost factor, trunk area of trees, species factor, condition factor, location factor, royalty value etc; for calculating the environmental compensation.
2. Learned Counsel appearing for the State has referred to the affidavit of DFO, Gautam Budh Nagar dated 04.02.2026 and has submitted that since no trace of the felled trees was found, therefore, DFO, Gautam Budh Nagar will supply the necessary information on the basis of the method which has been disclosed in the affidavit dated 07.04.2025 as follows:-
"xxx..................................xxx..xxx iii. Method of Assessment Sampling was conducted on the adjacent 3 plots through random plotting methodology. Specifically, squares measuring 16 meters by 16 meters were marked on each of the three plots, and a detailed enumeration of standing trees within each square was carried out. This method ensured a fair approximation of the trees felled as the remaining stumps of the felled trees were removed from the site. Copies of the photographs of sampling has been annexed herewith as ANNEXURE A-5.(Colly)
3. He submits that above information will be supplied to the UPPCB within one week.
4. The UPPCB may consider this information and do the needful and submit the report before the next date of hearing..."

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न है। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा 01 सप्ताह में अनुपालन आख्या चाही गयी है। अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि उक्त की जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए आख्या प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे ससमय से आख्या मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को प्रेषित की जा सके। उक्त प्रकरण की अग्रिम सुनवाई मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दिनांक 27.07.2026 को नियत है।

भवदीय

(ऋतेश कुमार तिवारी)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्ध नगर को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

LiFE Lifestyle for Environment

पत्रांकः 371/L-192/26 दिनांकः 10-06-2026

सेवा में,
प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग, गौतमबुद्ध नगर।

विषयः—मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 332/2024 ATS One Hamlet Apartment Owners Association Vs. State of Uttar Pradesh & Ors में पारित आदेश दिनांक 25.10.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 332/2024 ATS One Hamlet Apartment Owners Association Vs. State of Uttar Pradesh & Ors में पारित आदेश दिनांक 10.04.2026 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके मुख्य अंश निम्नवत् हैः—

"...1. Learned Counsel appearing for the Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) has referred to the communication dated 24.01.2026 sent by Regional Officer, UPPCB, NOIDA to the DFO, Gautam Budh Nagar, Forest Division, requesting him to disclose the number of trees which have been cut, cost factor, trunk area of trees, species factor, condition factor, location factor, royalty value etc; for calculating the environmental compensation.
2. Learned Counsel appearing for the State has referred to the affidavit of DFO, Gautam Budh Nagar dated 04.02.2026 and has submitted that since no trace of the felled trees was found, therefore, DFO, Gautam Budh Nagar will supply the necessary information on the basis of the method which has been disclosed in the affidavit dated 07.04.2025 as follows:-
"xxx...............................xxx...xxx iii. Method of Assessment Sampling was conducted on the adjacent 3 plots through random plotting methodology. Specifically, squares measuring 16 meters by 16 meters were marked on each of the three plots, and a detailed enumeration of standing trees within each square was carried out. This method ensured a fair approximation of the trees felled as the remaining stumps of the felled trees were removed from the site. Copies of the photographs of sampling has been annexed herewith as ANNEXURE A-5.(Colly)
3. He submits that above information will be supplied to the UPPCB within one week.
4. The UPPCB may consider this information and do the needful and submit the report before the next date of hearing..."

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न है। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा 01 सप्ताह में अनुपालन आख्या चाही गयी है। अतः आपसे अनुरोध है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में कार्यवाही करते हुए आख्या प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे ससमय से आख्या मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को प्रेषित की जा सके।

भवदीय
(ऋतेश कुमार तिवारी)
क्षेत्रीय अधिकारी o/c

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
1. जिलाधिकारी महोदया, गौतमबुद्ध नगर।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त—1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी o/c

कोर्ट केस/अति महत्वपूर्ण

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग, ई–1, सै0–1, नौएडा।

पत्राँकः 319 /35–1 , गौतमबुद्धनगर, दिनाँक 17- जुलाई 2026

सेवा में

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
नोएडा।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 नं0–332/2024, ATS One Hamlet Apartment Owner Association Vs. Government of Uttar Pradesh & ors. में पारित आदेश दिनांक 10.04.2026 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– 1– इस कार्यालय के पत्रांक–5525/35–1, दिनांक 30.04.2026।
2– आपके कार्यालय का पत्रांक–654/L-192/26, दिनांक 16.07.2026।

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं सन्दर्भित पत्रों के कम में आपके द्वारा उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या चाही गयी है। उक्त के कम में आपको अवगत कराना है कि सन्दर्भित पत्र (पत्रांक–5525/35–1, दिनांक 30.04.2026) के माध्यम से आपको पूर्व में ही प्रेषित की जा चुकी है, जो पुनः संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक 319 /35–1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0, मेरठ।
2. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त, मेरठ।
3. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

(हस्ताक्षर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग,
गौतमबुद्धनगर।

Annexure-02

कोर्ट केस/अति महत्वपूर्ण

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग, ई–1, सै0–1, नौएडा।

पत्रांकः 5525 /35–1 , गौतमबुद्धनगर, दिनाँक 30- अप्रैल, 2026

सेवा में

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
नोएडा।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 नं0–332/2024, ATS One Hamlet Apartment Owner Association Vs. Government of Uttar Pradesh & ors. में पारित आदेश दिनांक 10.04.2026 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः–
1– आपके कार्यालय का पत्रांक–1638/L-192/25, दिनांक 24.01.2026।
2– इस कार्यालय के पत्रांक–3011/3–1, दिनांक 08.12.2025।
3– आपके कार्यालय का पत्रांक–1536/L-1925/25, दिनांक 14.01.2026।
4– इस कार्यालय का पत्रांक–3935/35–1, दिनांक 27.01.2026।

महोदय,

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 नं0–332/2024, ATS One Hamlet Apartment Owner Association Vs. Government of Uttar Pradesh & ors. में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 10.04.2026 आदेश पारित किया गया है, जिसके प्रभावी अंश निम्नवत् हैः–

"....1. Learned Counsel appearing for the Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) has referred to the communication dated 24.01.2026 sent by Regional Officer, UPPCB, NOIDA to the DFO, Gautam Budh Nagar, Forest Division, requesting him to disclose the number of trees which have been cut, cost factor, trunk area of trees, species factor, condition factor, location factor, royalty value etc; for calculating the environmental compensation.

2. Learned Counsel appearing for the State has referred to the affidavit of DFO, Gautam Budh Nagar dated 04.02.2026 and has submitted that since no trace of the felled trees was found, therefore, DFO, Gautam Budh Nagar will supply the necessary information on the basis of the method which has been disclosed in the affidavit dated 07.04.2025 as follows: -

"xxx..................................xxx...xxx iii. Method of Assessment Sampling was conducted on the adjacent 3 plots through random plotting methodology. Specifically, squares measuring 16 meters by 16 meters were marked on each of the three plots, and a detailed enumeration of standing trees within each square was carried out. This method ensured a fair approximation of the trees felled as the remaining stumps of the felled trees were removed from the site. Copies of the photographs of sampling has been annexed herewith as ANNEXURE A-5.(Colly)

3. He submits that above information will be supplied to the UPPCB within one week.

4. The UPPCB may consider this information and do the needful and submit the report before the next date of hearing.

5. List on 27.07.2026..."

इस कार्यालय के पत्रांक–3935/35–1, दिनांक 27.01.2026 द्वारा उक्त सूचना आपको पूर्व में भी प्रेषित की जा चुकी है।

पुनः उक्त वाद में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.04.2026 का अनुपालन में हेतु विषयगत प्रकरण में काटे गये वृक्षों की संख्या, **Cost Factor, Trunk area of tree, Species Factor, Condition Factor, Location Factor, Royality Value** सम्बन्धी सूचना क्षेत्रीय वन अधिकारी, दादरी के पत्रांक–1874/35–1, दिनांक 27.04.2026 द्वारा उपलब्ध करायी गयी विस्तृत आख्या संलग्न कर आपको प्रेषित है (संलग्नक–1)।

अतः आपसे अनुरोध है कि मा० न्यायालय के आदेश दिनांकित 10.04.2026 का अनुपालन कर मा० न्यायालय में निर्धारित तिथि से पूर्व अवगत कराने का कष्ट करें तथा इस कार्यालय को कृत कार्यवाही की सूचना से अवगत कराने का कष्ट करें।

प्रकरण मा० एन०जी०टी० के आदेश के अनुपालन हेतु व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण एवं सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ त्वरित कार्यवाही की अपेक्षा है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक 5525 /35–1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र, उ०प्र०, मेरठ।
2. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त, मेरठ।
3. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

प्रभागीय वनाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, दादरी रेंज, ई–1, सै0–1, नौएडा (गौतमबुद्धनगर)

पत्राँक: 1875 /35–1 , गौतमबुद्धनगर, दिनाँक 27अप्रैल, 2026

सेवा मे

प्रभागीय वनाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग,
गौतमबुद्धनगर।

विषय :– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 नं0–332/2024, ATS One Hamlet Apartment Owner Association Vs. Government of Uttar Pradesh & ors. में पारित आदेश दिनांक 10.04.2026 के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:– इस कार्यालय का पत्रांक–5305/35–1, दिनांक 18.04.2026।

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं सन्दर्भित पत्र के अनुपालन मे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 नं0–332/2024 में पारित आदेश दिनांक 10.04.2026 में उल्लिखित बिन्दुओं पर आख्या पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक–1386/35–1, दिनांक 24.01.2026 द्वारा प्रेषित की गयी थी, जो आपके कार्यालय के पत्रांक–3935/35–1, दिनांक 27.01.2026 द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा को प्रेषित की गयी थी। पुन: आपके सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में बिन्दुवार विस्तृत आख्या निम्न प्रकार है:–

1. प्रकरण में काटे गये वृक्षों की संख्या के सम्बन्ध में दिनांक 05.07.2024 को उपस्थित वन विभाग, प्रदूषण विभाग, नोएडा प्राधिकरण के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त जांच की गयी थी (संयुक्त जांच रिपोर्ट संलग्न) **(संलग्नक–1)**. उक्त स्थल पर पातित वृक्षों का आकलन उक्त भूमि से सटे स्थल एवं इस खड़े वृक्षों में सैपलिंग प्लॉट (16X6M²) बनाकर किया गया। उक्त आकलन के अनुसार प्रकरण में प्रतिबन्धित प्रजातियों के कुल 20 वृक्षों का अवैध पातन आकलित किया गया। प्रतिबन्धित प्रजातियों का आकलन निम्नानुसार है:–

क्र0सं0	प्रतिबन्धित प्रजाति का नाम	संख्या
1	नीम	16
2	बेल	1
3	आम	2
4	पीपल	1
	योग	**20**

वास्तविक पातित ठूंठ मौके पर न मिलने के कारण Trunk area दिया जाना सम्भव नहीं है। ओ0ए0 नं0–147/2024, हरदीप शर्मा बनाम रमेश चन्द्र आर्या व अन्य मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांकित 04.12.2024 के पृष्ठ सं0–29 के नोट में वर्णित है कि *"If the GBH of the tree is not reported, then the average GBH of a mature tree of the respective species shall be taken in to consideration for calculation of Trunk Area of the tree. In case the GBH/diameter is not available then the average GBH/diameter of the respective species shall be taken in to account."*

तत्क्रम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं कार्य योजना, उ0प्र0, लखनऊ के आदेश सं0–92/12–3(V) , दिनांक 22.09.2020 जो कि उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–24/81–5–2020–07–93, दिनांक 07.01.2020 के आलोक में प्रतिबंधित प्रजातियों के समुपयोज्य व्यास (Exploitable diameter) के सन्दर्भ में निर्गत किया गया है अथवा अन्य सुसंगत आधार का उपयोग किया जा सकता है। सुलभ सन्दर्भ हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं कार्य योजना, उ0प्र0, लखनऊ की प्रति संलग्न है। उक्त पत्र में प्रकरणगत प्रतिबंधित प्रजातियों का समुपयोज्य व्यास निम्नवत् वर्णित है:–

क्र0सं0	प्रजाति	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं कार्य योजना, उ0प्र0, लखनऊ के आदेश दिनांक 22.09.2020 के अनुसार समुपयोज्य व्यास (से0मी0)
1	नीम	50
2	बेल	50
3	आम	60
4	पीपल	120

2. Species Factor, Condition Factor, Location Factor के सम्बन्ध में सूचना निम्नवत् है:–

(a) Species Factor: - There are no data available for species factor with regard to sepcies. RO, PCB can calculate this as the deem suitable.

(b) Condition Factor – ओ0ए0–147/2024 के आदेश दिनांक 04.12.2024 के पैरा सं0–B.2 में Condition Factor हेतु निम्नवत् वर्णित किया गया है:–

Class	Tree Health Characteristics	Score
Excellent	Root plate is undisturbed, trunk is sound and solid. Excellent vigour with well-formed canopy	1.0
Good	Moderate damage and defects in root plate, trunk and canopy	0.75
Poor	Major (more than 50%) damage and defects in root plate, trunk and canopy which would be very difficult to restore	0.5

Note: - If a felt tree is not found at site, then the condition, factor shall he taken as Good. If tree is found felt and it is dcult to find the condition, the decision will he taken based on surrounding habitat and the time series of satellite image like google images etc.
Since the felled tree was not found on site so as per order date 04.12.2024 in OA No-147/2024 the condition factor can be taken as good.

(c) Location Factor - ओ0ए0–147/2024 के आदेश दिनांक 04.12.2024 के पैरा सं0–B.3 में Location Factor हेतु निम्नवत् वर्णित है:–

Site location	Score
Tree located in wild life sanctuaries, national Parks, Conservation Reserve, RF/PF, Eco sensitive Zone, Van Panchayat	1.0
Tree located in Nagar Nigam Area Tree located in Nagar palika Area Tree Located in Nagar Panchayat Area	0.85 0.75 0.65
Location in rural landscapes. Higher score to be given to trees 0.50 based on their proximity to commercial areas	

It is informed that the tree is not located in Wildlife Sanctuaries, National Parks, Conservation Reserve, RF/PF, Eco Sensitive Zone & Van Panchayat. The tree felling location falls in notified area as Noida authorities. Hence RO, PCB can pick the score accordingly from the table.

3. Cost Factor के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नर्सरी में पौधों के मूल्य के सम्बन्ध में प्रचलित पत्र की प्रति संलग्न है (संलग्नक–2)। प्रकरणगत प्रति प्रजातियों के नर्सरी मूल्य उक्त पत्रानुसार निम्नवत् है:–

क्र0सं0	पौधों की श्रेणी	प्रस्तावित विक्रय दर
1	एक वर्षीय पौध	
(अ)	थैली	7.00
(ब)	पिण्डी	15.00
2	दो वर्षीय पौध	
(अ)	थैली	9.00
(ब)	पिण्डी	23.00
3	शोभाकार पौध (गुलमोहर, जैकरैण्डा), अमलतास, सिल्वरओक, पेल्टाफोरम, बोगेनविलिया आदि)	23.00
4	अतिविशिष्ट पौध (अशोक, पेण्डुला, सीता अशोक, नीलश्री आदि)	45.00

5	क्लोनल विधि द्वारा उगाये गये	
(अ)	शीशम	9.00
(ब)	यूकेलिप्टस, पॉपलर	24.00
6	हाईटेक पौधशाला में उगायी जाने वाली पौध	10.00
7	6 से 12 फीट ऊंची पौध	80.00

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तदानुसार Cost Factor की गणना कर सकते है।

4. Royality Value के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त, मेरठ के पत्रांक-1508/22-1, दिनांक 02.11.2020 द्वारा निर्गत की गयी दरों की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-3) क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तदानुसार Royalty Value की गणना कर सकते है।

अतः रिपोर्ट महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

क्षेत्रीय वन अधिकारी,
दादरी रेंज, गौतमबुद्धनगर।

संयुक्त जॉच रिपोर्ट

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 332/2024 ATS One Hamlet Apartment Owner Association Vs. Government of Uttar Pradesh & ors. में पारित आदेश दिनांक 03–04–2024 एवं प्रभागीय वनाधिकारी,गौतमबुद्धनगर की पत्र संख्या 7302/35–1 दिनांक 20–06–2024 के अनुपालन में शिकायत महर्षि योगी आश्रम ट्रस्ट, महर्षि नगर, सेक्टर–110 नोएडा द्वारा अवैध रूप से पेड काटने एवं गौतमबुद्धनगर के सेक्टर–104, नोएडा में स्थित ग्रुप हाउसिंग सोसायटी से सटे भूखण्ड पर ग्रीन बेल्ट को नष्ट कर उस पर अवैध निर्माण करने की शिकायत पर दिनांक 26–06–2024 को संयुक्त जॉच की गयी। संयुक्त जॉच में ज्ञात हुआ कि सेक्टर–104, नोएडा में मौके 0.51 हे0 आश्रम की भूमि पर जे0सी0बी0 के माध्यम से रोड निर्माण करने हेतु मुख्यतः सूबबूल, प्रोसोपिस ज्यूलीफलोरा, सिरस,नीम, बेल, आम पीपल आदि प्रजाति के कई वृक्षो का बिना अनुमति पातन किया गया, जिसका आकलन उक्त भूमि से सटे स्थल एवं इस खडे वृक्षो मे सैम्पल प्लांटिंग (16X16 मीटर) किया गया। सैपलिंग के आधार पर पातित वृक्षो में से सोलह वृक्ष नीम, एक बेल, दो आम, एक पीपल प्रतिबंधित प्रजाति के पाये गये। उक्त समस्त वृक्ष महर्षि योगी आश्रम ट्रस्ट, महर्षि नगर की निजी भूमि पर स्थित थे।

तत्क्रम विभागीय कार्यवाही करते हुए वन अपराध सख्या 08/2024–25 इजरा कर वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही कर प्रतिकर रू0 2,00,000.00 प्राप्त किया गया एवं उ0प्र0 अभिवहन नियमावली 1978 की धारा 3/28 में निहित प्राविधानो के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही अमल लाते हुए रू 50000.00 प्राप्त किया गया। कुल प्रतिकर यस बैंक द्वारा जारी डीमाण्ड ड्राफ्ट संख्या 253435 दिनांक 04–07–2024 द्वारा रू0 2,50,000.00 प्राप्त कर जमा कराया गया।

अतः रिपोर्ट महोदय की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक–1. भूमि अभिलेख की प्रति।

2. प्रतिकर प्राप्त करने संबंधी आदेश की प्रति।

3. फोटोग्राफ।

Ananika
(ANANIKA)
RFO, Dadri

05/07/2024
RFO-CC.

5/7/24
PRASHANT KUMAR
VAN DAROGA

05/07/2024
(P.P. Singh)
U.P. Pollution Control Board
NOIDA

पत्रॉक / दिनॉकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

454

संलग्न

संख्या–78 / 14–5–2016–67 / 87–टी०सी०

प्रेषक,

0 2 MA. 2016

संजीव सरन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वन अनुभाग–5 लखनऊ दिनांक 26 अप्रैल, 2016

विषयः– वन विभाग की पौधशालाओं से बिक्री किये जाने वाले पौधों के विक्रय मूल्य का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–जी–914 / 4–20 (विक्रय मूल्य) दिनांक 06–1–2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–293 / 14–5–2014–67 / 87–टीसी, दिनांक 16–6–2014 द्वारा पूर्व में उपर्युक्त के संदर्भ में विक्रय मूल्य निर्धारित किया गया था। तत्पश्चात पत्र दिनांक 06–1–2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक रूप से विचारोपरान्त तात्कालिक प्रभाव से वन विभाग की पौधशालाओं से विक्रय किये जाने वाले पौधों के विक्रय मूल्य का निर्धारण निम्नवत किया जाता है :–

क्र०सं०	पौधों की श्रेणी	प्रस्तावित विक्रय दर (मजदूरी रू० 161 / – प्रतिदिन)
1	2	3
1	एक वर्षीय पौध	
	(अ)–थैली	7.00
	(ब)–पिण्डी	16.00
2	दो वर्षीय पौध	
	(अ)–थैली	9.00
	(ब)–पिण्डी	23.00
3	शोभाकार पौध (गुलमोहर, जेकरेण्डा) अमलतास, सिल्वर ओक, पेल्टोफोरम, बोगेनविलिया आदि)	23.00
4	अतिविशिष्ट पौध (अशोका पेण्डुला, सीता अशोक, मौलश्री आदि)	45.00
5	क्लोनल विधि द्वारा उगाए गए	
	(अ)–शीशम	09.00
	(ब)–यूकेलिप्टस, पॉपलर	24.00
6	हाईटेक पौधशाला में उगायी जाने वाली पौध	10.00
7	8 से 12 फीट ऊँची पौध	80.00
	नोट– 1–एक वर्षीय एवं दो वर्षीय पिण्डी पौध हेतु प्रस्तावित दरों में पिण्डी खुदान व्यय रू० 3.61 प्रति पौध सम्मिलित है। 2–अपर प्रमुख वन संरक्षक, अनुसंधान, उ०प्र० कानपुर ने अपने पत्रांक– 754 / जी०ओ०, दिनांक 04–1–2016 में उल्लेख किया गया है कि वर्तमान में जो मजदूरी के दरों में वृद्धि की गयी है वह काफी कम होने के कारण पूर्व में जारी शासनादेश संख्या–293 / 14–5– 2014–67 / 87–टीसी, दिनांक 16–6–2014 द्वारा क्लोनल पौध व हाईटेक पौधशाला में उगाई जाने वाली पौध की दर को यथावत रखा जाना उचित होगा।	

3438

APCCF(SF)

PCCF
27/4

01 May

28/4/16

2— वृहद वृक्षारोपण हेतु अधिक से अधिक पौध उठान सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित कर दिया जाय कि किसानों की मांग के अनुसार ही विभिन्न प्रजातियों के पौधों का उगान किया जाये।

3— उपरोक्त विक्रय दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

4— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—ई—7—153/दस—16, दिनांक 06—4—2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(संजीव सरन)
प्रमुख सचिव

संख्या—78(1)/14—5—2016 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2— प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3— प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को अपने स्तर से परिचालित करने का कष्ट करें।
4— मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तर प्रदेश।
5— समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6— महालेखाकार—II, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
7— समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
8— समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9— डायरेक्टर, डिफेन्स लैण्ड कन्टोंमेन्ट मिनिस्ट्री आफ डिफेन्स, सेन्ट्रल कमाण्ड, कन्टोंमेन्ट, लखनऊ।
10— समस्त वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर प्रदेश।
11— वित्त (ई—7) अनुभाग।
13— गार्ड फाइल/वन अनुभाग—5

आज्ञा से,

(ओम प्रकाश)
विशेष सचिव

कार्यालयः वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त, मेरठ

(223/1,सिविल लाइन, मेरठ–250001)

स्थाई आदेश संख्याः 1508 /22–1, मेरठ, दिनांक 02/11/2020

वृक्षों एवं जलौनी लकडी को अनुसूचित दरों के पुनरीक्षण निर्धारण– आदेश

इस कार्यालय के स्थाई आदेश संख्या– 01/22–3 दिनांक 25.02.2016 द्वारा वृक्षों एवं जलौनी लकडी की अनुसूचित दरों का पुनर्मूल्यन कर निर्धारण किया गया था। वर्ष 2016 में निर्धारित अनुसूचित दरों में प्राप्त रायल्टी एवं बाजार दरों में अप्रत्याशित वृद्धि हो चुकी है। अतः वर्ष 2014–15 से वर्ष 2018–19 की दरों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में पाये जाने वाले विभिन्न प्रजातियों के हरे (खडे या उखडे) ठोस वृक्षों एवं जलौनी लकडी के लिये पुर्नमूल्यांकन करते हुए दरों का निर्धारण निम्नप्रकार किया जाता है। ये दरें तत्कालिक प्रभाव से लागू होंगीः–

तालिका न0–1

क्र0 स0	वृक्षों की प्रजाति	विभिन्न सेन्टीमीटर व्यास वर्ग के वृक्षों की अनुसूचित दरें (रूपये में)									
		0–10	10–20	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80	80–90	90 से ऊपर
1	शीशम	75	250	2610	7670	15360	25500	38360	54000	72190	92810
2	जामुन	110	320	1920	3960	11540	19180	28770	33120	37470	0
3	सागौन	850	1870	4610	16220	37120	65190	101360	145020	0	0
4	खैर	193	750	8839	20612	37616	58228	80153	0	0	0
5	आम	220	430	3650	10370	20720	34640	51420	60880	70350	0
6	शहतूत	32	47	53	588	956	128[illegible]	1628	0	0	0
7	पापडी	42	105	1008	3980	5901	8211	10910	12527	0	0
8	पीपल,नीम, गोल्डमोहर, अर्जून, लिसौडा, बकैन, अशोक, आदि	60	140	1050	2530	4770	7720	11510	14740	0	0
9	कोकाट (अन्य)	63	153	778	1953	3906	6630	9758	13080	0	0
10	सुबबूल, अमलतास	50	200	810	1787	3574	6505	9746	0	0	0
11	बबूल, ज्यूलीफ्लोरा (छोटे आकार के वृक्ष प्रजाति)	44	178	744	1632	3252	5916	8869	0	0	0
12	कोमल काष्ठ, सेमल, सिरस, गूलर, मलबरी, बरगद, पोपलर आदि	47	105	683	2216	4568	7959	11645	17840	0	0

यूकेलिप्टस	व्यास वर्ग से0मी0 में										
	0–5	5–10	10–15	15–20	20–25	25–30	30–35	35–40	40–45	45–50	50–55
दर (रू0 में)	30	70	290	580	1060	1600	2430	3870	4870	5800	6880

ों को जलौनी लकडी:— रूपये 575.00 प्रति घनमीटर (मृदु काष्ठ)
रूपये 1150.00 प्रति घनमीटर (कठोर काष्ठ)

1. उपरोक्त दरें केवल हरे (हरे या उखडे) ठोस (साउण्ड) वृक्षों के लिये मान्य होगी। सूखे (सूखे या उखडे) वृक्षों की दरें उपरोक्त दरों का 3/4 तथा योग्य (फिट) और अयोग्य (अनफिट) हरे (खडे या उखडे) वृक्षों की दरें क्रमशः 2/3 तथा 1/3 होगी।
2. खैर की दरें (खडे या उखडे) योग्य (फिट) वृक्षों के लिये है। अयोग्य (अनफिट) वृक्षो की दरें योग्य (फिट) वृक्षों की दरों का 1/2 होगी।

पातित वृक्षों के प्रकाष्ठ की अनुसूचित दरों का पुनरीक्षण एवं निर्धारण

उक्त प्रकाष्ठ (सी–1 एवं सी–17) एवं वन निगम के प्रकाष्ठ की किस्म में कोई अन्तर नही होता है। वर्ष 2007 के पातित वृक्षों का प्रकाष्ठ की अनुसूचित दरों का पुनरीक्षण एवं निर्धारण के आधार को ध्यान में रखतें हुए निम्न तालिकाओं में प्रजातिवार आधार मूल्य निर्धारण किया जाता है:—

तालिका नं0–2

शीशम गोल प्रकाष्ठ का आधार मूल्य

क्र0स0	लम्बाई (मीटर में)	प्रथम श्रेणी के प्रकाष्ठ का मूल्य रू0 (प्रति घ0मी0) मध्य घेरी (से0मी0 में)				
		31–60	61–90	91–120	121–150	151 से ऊपर
1	0.95	6720	15245	19050	20965	24710
2	1.25	6720	15245	21360	21825	24710
3	1.55	9880	17045	21825	22110	24710
4	1.85	10910	18675	22110	25445	32925
5	2.15	13030	21660	25560	29250	34390
6	2.45	13040	21660	25710	29250	36000
7	2.75	15040	21690	28445	29250	37370
8	3.05	15040	21690	28445	29250	37370
9	3.35	15700	22350	32760	33225	39450
10	3.65	15700	22350	32760	33225	39450
11	3.95	16110	22950	34275	34595	39975
12	4.25	17380	24770	34860	35270	40990
13	4.55 तथा अधिक	17380	24770	35345	35870	43970

तालिका न0–3

शीशम चिरान प्रकाष्ठ का आधार मूल्य

क्र0स0	लम्बाई (मीटर में)	प्रथम श्रेणी के प्रकाष्ठ का मूल्य रू0 (प्रति घ0मी0) क्रास सैक्शन (चौडाई अथवा गौलाई से0मी0 अधिक हो (से0मी0 में)					
		2	5.18	8.1.11	11.1.15	15.1.24	24.1.30
1	0.65	9525	13331	16631	20794	22913	26981
2	0.95	9525	13331	16631	20794	22913	26981
3	1.25	10013	17700	20175	23306	24113	26981
4	1.55	13500	17700	20175	23775	24113	35925
5	1.85	17381	20700	32894	24113	27769	36231
6	2.15	18506	24488	27188	27881	31694	39263

7	2.45	18506	24488	27188	27881	31894	39263
8	2.75	20063	26906	29794	31031	33750	40763
9	3.05	20063	26906	29794	31031	33750	40763
10	3.35	20588	27844	30844	33544	36244	43031
11	3.65	20588	27844	30844	33544	36244	43031
12	3.95	21131	28331	31463	34106	37706	43613
13	4.25	21544	28331	31463	34613	38475	44794
14	4.55	22069	28800	31931	35663	39863	44794
15	4.85	22069	28800	32513	36169	40425	45225
16	5.15	23006	30263	33544	37313	40950	46313
17	5.45	23550	30731	34106	37800	42600	47400
18	5.75	24019	31200	34594	38869	45638	48506

तालिका नं0–4

आम गोल प्रकाष्ठ का आधार मूल्य

क्र0स0	लम्बाई (मीटर में)	प्रथम श्रेणी के प्रकाष्ठ का मूल्य रू0 (प्रति घ0मी0) मध्य घेरी (से0मी0 में)				
		31–60	61–90	90–120	121–150	151 से ऊपर
1	0.95	2290	3600	6109	6357	6684
2	1.25	3055	5837	9441	9713	9928
3	1.55	3055	5837	9441	9821	10040
4	1.85	4554	7638	10360	12192	12413
5	2.15	5347	8893	13231	15521	15794
6	2.45	5347	8893	13231	15521	15794
7	2.75	5347	11184	16558	18058	18276
8	3.05	5347	11184	16558	18058	18549

तालिका न0--5

कोमल काष्ठ प्रजातियों का आधार मूल्य

क्र0स0	प्रजाति	आधार मूल्य रू0 प्रति घ0मी0 (बक्कल सहित)
1	सेमल	3360
2	सिरस	10504
3	गूलर	1843
4	पेपर मलबरी	218
5	पौपलर (30–40) से0मी0 गोलाई	4127

तालिका न0–6

यूकेलिप्टस गोल प्रकाष्ठ का आधार मूल्य

गोलाई से0मी0 में मूल्य रूपये में	
60 से0मी0 गोलाई तक	60 से0मी0 से ऊपर गोलाई तक
4637.00	5713.00

तालिका नं0-1

समस्त कोकाट प्रजातियां (तालिका 1 के क्र0स0 8,9,10 की प्रजातियां)

क्र0स0	लम्बाई (मीटर में)	प्रथम श्रेणी के प्रकाष्ठ का मूल्य रू0 (प्रति घ0मी0) मध्य घेरी (से0मी0 में)				
		31–60	61–90	91–120	121–150	151 से ऊपर
1	0.95	2071	3260	5504	5741	6005
2	1.25	2773	5278	8507	8752	8938
3	1.55	2773	5296	8507	8854	9035
4	1.85	4100	6894	9466	10995	11203
5	2.15	4823	8006	11885	13970	14248
6	2.45	4823	8006	11885	13970	14248
7	2.75	4823	10078	14915	16277	16472
8	3.05	4823	10078	14915	16277	16722
9	3.35	5852	10189	17403	18404	18654
10	3.65	5852	10189	17403	18404	18654
11	3.95	5852	11704	17903	18876	19126
12	4.25	5852	11704	17903	18876	19126
13	4.55 तथा अधिक	6186	12079	18407	18876	19126

टिप्पणी–1--क–द्वितीय श्रेणी के प्रकाष्ठ का आधार मूल्य उक्त प्रथम श्रेणी के मूल्य का 75 प्रतिशत होगा।
ख–तृतीय श्रेणी के प्रकाष्ठ का मूल्य प्रथम श्रेणी के प्रकाष्ठ के मूल्य का 50 प्रतिशत होगा।
ग–चतुर्थ श्रेणी के प्रकाष्ठ का मूल्य प्रथम श्रेणी के प्रकाष्ठ के मूल्य का 35 प्रतिशत होगा।

2– यह सम्भव और व्यवहारिक है कि लट्ठे की नपत तालिकाओं में दर्शायी गयी लम्बाई की न हो अतः इसके लिए –5 से0मी0 का फैक्टर प्रयोग किया जायेगा।

3– वन विभाग के जब आधार मूल्य पारिवर्तित होगें उक्त मूल्य स्वतः पारिवर्तित हो जायेंगे जिसके परिवर्तन की सूचना इस कार्यालय से दी जायेगी।

प्रकाष्ठ का वर्गीकरण

(प्रकाष्ठ की प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ श्रेणी का आंकलन)

पातित (कटे हुए) लट्ठों में निम्न 15 दोष पाये जाते है। जिनके अनुसार प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के प्रकाष्ठ का आंकलन किया जाना है:-

1. टेढ़ापन (BEND) : प्रकाष्ठ के दोना सिरों को जोडने वाली रेखा से अधिकतम हटाव।
2. छेद (HOLE) : कीडों द्वारा छेद के व्यास तथा अधिक छेद होने पर एक वर्ग से0मी0 में छेदों की संख्या अनुसार माप की जाती है।
3. दरार (CRACK) : प्रकाष्ठ के रेशों में दरार।
4. उतार (TAPER DEFECT) : कोई भी असमान्यता व अनियमित्ता जिससे कि प्रकाष्ठ के मूल्य में कमी हो जाती है, मजबूती कार्य करने का गुण बाहरी दिखावट अथवा प्राप्ति पर कुप्रभाव के फलस्वरूप।
5. दीघ्रवृत्त (ELLIPSE) : नयूनतम व्यास अधिकतम का 80 प्रतिशत या उससे कम होने पर।
6. भीमरी छाल (IN-BARK) : बाढ की बढत के फलस्वरूप प्रकाष्ठ में दबी छाल।
7. गुमटेदार (KNOBBY) : छोटी–छोटी बहुत सी गांठो वाला लट्ठा।

...क्रमाचूर (SHATTER) : गिरने के समय आयी चोट से।
...दोष माप इकाई (UNIT & DEFECT) : किसी दोष के प्रकाष्ठ में हुई मूल्य में कमी की परिणाम सूचक इकाई।
... घाव (WOUND) : बढते पेड पर लगी चोट जो बाद में भर गयी हो।
11. उतार (TAPER) : पेड में ऊपर की ओर की हुई व्यास में कमी।
12. सिरा फटन हार्ट शेक व स्टार शेक (END-CRACK, HEART-SHAKE& STARSHAKE)
13. कप शेक व रिंग शेक (CUP-SHAKE& RING-SHAKE)
14. गांठें (KNOTE) : :
15. दोदर सड़न व गलन (ROT) :

उक्त चारों श्रेणियों के वर्गीकरण हेतु दोषों की अधिकतम सीमा निम्न प्रकार निर्धारित की जायेगी–

प्रकाष्ठ श्रेणी	प्रति 2.5 मी0 लम्बे लट्ठे में दोषों की अधिकतम सीमा
प्रथम	3
द्वितीय	5
तृतीय	9
चतुर्थ	9 से अधिक

02/11/20
(गंगा प्रसाद)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सा0वा0, मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

पत्रांक 1508 / 22–1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2– प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश, वन निगम लखनऊ।
3– समस्त मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0।
4– समस्त वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त मेरठ।

2/11/20
(गंगा प्रसाद)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सा0वा0, मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं कार्य योजना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक–92 /12-3 (V) लखनऊ, दिनांक, सितम्बर 22, 2020

सेवा में,

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ।
2. समस्त वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ।

विषय– उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–5 के शासनादेश संख्या 24/81–5–2020–07–93 दिनांक 07 जनवरी, 2020।

महोदय,

उक्त शासनादेश के प्रस्तर–2 में निम्नानुसार प्राविधानित किया गया है–

"प्रतिषिद्ध प्रजातियों के वृक्ष, दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 तक अपरिहार्य परिस्थितियों यथा– सूखा, सूखा रहा हो या सूखा रहा हो या व्यक्ति या सम्पत्ति के लिये खतरा पैदा कर रहा हो या सरकार द्वारा अनुमोदित विकास कार्यों के निष्पादन के लिए उसका निपातन किया जाना आवश्यक हो या समुपयोज्य व्यास प्राप्त कर लिया हो अथवा यदि उसकी फलदायी क्षमता सारभूत रूप से क्षीण हो गयी हो और ऐसे वृक्ष को निपातित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से लेखित में अनुज्ञा प्राप्त कर ली गई हो, के सिवाय निपातित नहीं किये जायेंगे। समुपयोज्य व्यास के लिए प्रमुख वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं कार्य योजना, उत्तर प्रदेश जैसा और जब अपेक्षित हो, समय–समय पर मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी कर सकता है।"

उपरोक्त प्राविधानों के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक 22/– दिनांक 15 जुलाई, 2020 द्वारा 29 प्रजातियों का समुपयोज्य व्यास निर्धारित किया गया था।

उक्त निर्धारण के पश्चात निर्धारित मानकों के विरूद्ध प्रत्यावेदन प्राप्त हुये कि निर्धारित किया गया समुपयोज्य व्यास बहुत अधिक है इसमें संशोधन की माँग की गयी। इसी क्रम में सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश में उल्लिखित 29 प्रजातियों का समुपयोज्य व्यास (Exploitable diameter) पूर्व के आदेशों को अतिक्रमित करते हुए निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है–

क्र0सं0	प्रजाति का नाम	समुपयोज्य व्यास Diameter cm.
1	आम (देशी/तुकमी)	60
2	नीम	50
3	साल	90
4	महुआ,	60
5	बीजासाल	60
6	पीपल	120
7	बरगद,	120
8	गूलर	100
9	पाकड़	100
10	अर्जुन	40
11	पलाश	50
12	बेल	50
13	चिरौंजी	60
14	खिरनी	80
15	कैथा	60
16	इमली	100
17	जामुन	40
18	असना	80

Scanned with Ca

19	महुआ	80
20	रीठा	60
21	भिलावा	50
22	तुन	60
23	सलई	50
24	हल्दू	80
25	चमकनी / नरकाई	50
26	पी	50
27	खैर	30
28	शीशम	40
29	सागौन	30

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

उपरोक्त निर्धारित समुपयोज्य व्यास के विभिन्न आयामों, प्रभावों की 06 माह उपरान्त [illegible] की जायेगी एवं आवश्यक होने पर संशोधित आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय

(अजय कुमार)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
अनुश्रवण एवं कार्य योजना
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

[illegible]ख्या– 92 /समदिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित संबंधित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही [illegible]षित।

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, और विभागाध्यक्ष उ0प्र0, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, कार्ययोजना, उ0 प्र0 लखनऊ।

(अजय कुमार)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
अनुश्रवण एवं कार्य योजन[illegible]
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

संख्या– 92 /समदिनांकित।

प्रतिलिपि– समस्त प्रभागीय वनाधिकारियों / प्रभागीय निदेशकों को उपरोक्तानुसार अ[illegible] कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।

(अजय कुमार)
प्रधान मुख्य वन संरक्ष[illegible]
अनुश्रवण एवं कार्य योज[illegible]
उत्तर प्रदेश, लखन[illegible]

पत्रांक 1737 /22-1 / दिनांक 03-11-2020
प्रतिलिपि समस्त क्षेत्रीय वन अधिकारी सा० वा० प्रभाग रायबरेली एवं उपप्रभागीय वनाधिकारी रायबरेली / लालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
[illegible]

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

~~Appeal~~ /OA ~~NO.~~ 332 of 2024

In re:

ATS One Hamlet Apartments Owners Association

Plaintiff /Appellants/ Petitioner/Complainant

VERSUS

State of UP & Ors.

Defendant/Respondent/ Accused

KNOW ALL to whom these present shall come that I/We Anuj Kumar Chaubey the above named Law officer do hereby appoint (herein after called the advocate/s) to be my/our Advocate in the above noted case & authorize :-

Mr.Pradeep Misra, Mr. Daleep Dhyani, Advocates,
138, New Lawyers Chamber, Supreme Court of India,
New Delhi, Ph. :011-23070011, Mob. 9810252518, 9811070721

To act, appear and plead in the above-noted case in this Court or in any other Court in which the same may be tried or heard and also in the appellate Court including High Court subject to payment of fees separately for each Court by me/ us.

To sign, file verify and present pleadings, appeals cross objections or petitions for execution review, revision, withdrawal, compromise or other petitions or affidavits or other documents as may be deemed necessary or proper for the prosecution of the said case in all its stages.

To file and take back documents to admit and/or deny the documents of opposite party.

To withdraw or compromise the said case or submit to arbitration any differences or disputes that may arise touching or in any manner relating to the said case.

To take execution proceedings.

To deposit, draw and receive money, cheques, cash and grant receipts thereof and to do all other acts and things which may be necessary to be done for the progress and in the course of the prosecution of the said case.

To appoint and instruct any other Legal Practitioner, authorizing him to exercise the power and authority hereby conferred upon the Advocate whenever he may think it to do so and to sign the Power of Attorney on my/our behalf.

AND I/We the undersigned do hereby agree to ratify and confirm all acts done by the Advocate or his substitute in the matter as my/our own acts, as if done by me/us to all intents and purposes.

AND I/We undertake that I / we or my /our duly authorized agent would appear in the Court on all hearings and will inform the Advocates for appearance when the case is called.

AND I /we undersigned do hereby agree not to hold the advocate or his substitute responsible for the result of the said case. The adjournment costs whenever ordered by the Court shall be of the Advocate which he shall receive and retain himself.

AND I /we the undersigned do hereby agree that in the event of the whole or part of the fee agreed by me/us to be paid to the Advocate remaining unpaid he shall be entitled to withdraw from the prosecution of the said case until the same is paid up. The fee settled is only for the above case and above Court. I/We hereby agree that once the fee is paid. I/we will not be entitled for the refund of the same in any case whatsoever. If the case lasts for more than three years, the advocate shall be entitled for additional fee equivalent to half of the agreed fee for every addition three years or part thereof.

IN WITNESS WHEREOF I/We do hereunto set my /our hand to these presents the contents of which have been understood by me/us on this 18 day of 06.2026

Ac[cepted su]bject to the terms of fees.

(PRADEEP MISRA)(DALEEP DHYANI)
Advocate Advocate (D/435/01)

Client
Anuj Kumar Chaubey
Law Officer-I
U.P. Pollution Control Board
Lucknow

₹25 ADVOCATES' WELFARE FUND STAMP BAR COUNCIL OF DELHI 2607299 पच्चीस रुपये TWENTYFIVE RUPEES